

13/10/25 पत्रावली पैरा 106. वकील प्रार्थी अखिल ने  
Note paper पर पत्र पर आगे कोई कार्यवाही करने  
का निवेदन का नोट प्रेषित किया। अतः वकील  
प्रार्थी के निवेदन अनुसार प्रथम पत्र नए  
पत्र में खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल  
उपरोक्त लेख नंबर से प्रगम है।

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

